अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं. प्रो.रा.यो/2011–12/ 603 **दिनांकः** 02/01/12

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत स्कूटी हेतु आवेदन पत्रों की कमी पूर्तियॉ बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवम् प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत विशेष पिछडे वर्ग की छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर अध्ययनरत राजकीय महाविद्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि 25–11–11 रखी गयी थी । प्राप्त आवेदन पत्रों की सम्पूर्ण जॉच, कालम पूर्तियों एवं प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्राचार्य द्वारा निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर में जमा कराने की अन्तिम तिथि 30–11–11 रखी गई थी । प्राचार्यो द्वारा छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना जॉच किये ही निदेशालय में जमा करा दिये है, जिसमें जाति, वर्ग, आयु सीमा, विवाहित/अविवाहित तथा दस्तावेजों का प्रमाणीकरण कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है । आवेदन पत्रों में कमियों की सूची विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अतः सूची वेबसाईट से डाउनलोड कर महाविद्यालय से सम्बन्धित छात्रा के नाम के सम्मुख अंकित कमियों की पूर्ती कराकर तीन दिवस में निदेशालय में व्यक्तिशः जमा करावें । जिन छात्राओं ने आवेदन पत्र के कालम संख्या 13 में (आक्षेप सूची के कॉलम संख्या 16 में दृष्टित) अन्य छात्रवृत्ति / आर्थिक सहायता मिलनें की सूचना नहीं भरी है, उनसे सादा पेपर पर यथा सम्बन्धित सूचना लिखवाकर, हस्ताक्षर सहित प्राप्त कर तथा उस पर आपके प्रति हस्ताक्षर कर आक्षेप पूर्ति बतौर सलंग्न करावें । आक्षेप पूर्ति प्रपत्रों को सूचीबद्ध करके लावें । सूची में छात्रा के नाम के सम्मुख तथा उसके आक्षेप पूर्ती पत्रों पर नेट पर डाली गई सूची क्रमांक अवश्य अंकित करें। जिन छात्राओं के नाम के सम्मुख विशेष विवरण कॉलम में पात्र /अपात्र अंकित है कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

छात्राओं द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10–01–2012 तक बढाई जा चुकी है । अतः अंतिम तिथि तक प्राप्त नये आवेदन पत्रों की सूची बनाकर जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, 12वीं बोर्ड परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत अंकित कर दिनांक 11–01–2012 को निदेशालय को 0141–2702247 या 2703897 पर फैक्स किया जावें तथा प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रत्येक कॉलम पूर्तियों की जॉच कर तथा कार्यालय सम्बन्धी कार्यवाही कर प्रमाणित दस्तावेजों के साथ दिनांक 15–1–2012 तक निदेशालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करावें।

प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है। अतः किसी प्रकार की कोताही नहीं बर्ती जावें ।

संयुक्त निदेशक(छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज0
जयपुर ।

सलंग्नः– पूर्तियों हेतु सूची

604–607
02/01/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. नोडल अधिकारी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना ।
4. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज0
जयपुर ।